न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

(47)

पीठासीन अधिकारी— कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
14/2012/प्रा.पत्र/2012	14.05.2012	07.08.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री खेमचन्द चन्द जैन पुत्र भाग चन्द एफ.बी.ओ. मैसर्स खेमचन्द एण्ड कम्पनी किराणा स्टोर खणदेवत रोड निवाई जिला टोंक निवासी बालिका स्कूल के पीछे निवाई जिला टोंक

2–मैसर्स ज्ञान चन्द एण्ड कम्पनी गोदाम वालो का कटला सब्जी मण्डी निवाई टोंक

3– श्री दिनेश कुमार पुत्र सूरजमल प्रोपरायटर मैसर्स ज्ञान चन्द एण्ड कम्पनी गोदाम वालो का कटला सब्जी मण्डी निवाई टोंक निवासी पाटनी भवन के पास गुजरो का मोहल्ला निवाई जिला टोंक राज0

4–मैसर्स चंचल ट्रेडिंग कम्पनी मेन मार्केट राजोली जिला दौसा राज0

5–श्री धारा सिंह पूर्विया प्रोपरायटर मैसर्स चंचल ट्रेडिंग कम्पनी मेन मार्केट राजोली जिला दौसा राज0 निवासी सैनिक नगर गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 07.08.2019**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.09.2011 को समय 4.55 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स खेमचन्द एण्ड कम्पनी किराणा स्टोर खणदेवत रोड निवाई जिला टोंक पर पहुंचां। विकेता की हैसियत से श्री खेमचन्द चन्द जैन पुत्र भाग चन्द एफ.बी.ओ. मैसर्स खेमचन्द एण्ड कम्पनी किराणा स्टोर खणदेवत रोड निवाई जिला टोंक निवासी बालिका स्कूल के पीछे निवाई जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **लाइट फैट मॉ प्रीमियम सील पैक** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री खेम चन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता खेम चन्द जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 900–900 ग्राम के 8 मूल पैकेट **लाइट फैट मॉ प्रीमियम सील पैक** मे से 4 पैकेट को ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड मूल पैक वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री खेमचन्द जैन को रू0 500/–अक्षरे पांच सो रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

885

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **लाइट फैट मॉ प्रीमियम सील पैक** 900–900 के 4 पैकेट को ज्यो का त्यो को चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो के ढक्कन को नियमानुसार एयरटाईट बंद कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–126 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–126 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. खेमचन्द जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री खेम चन्द जैन ने मौके पर **लाइट फैट मॉ प्रीमियम सील पैक** बतोर वारन्टी मैसर्स ज्ञान चन्द एण्ड कम्पनी गोदाम वालो का कटला सब्जी मण्डी निवाई टोंक का बिल क्रमांक 2187 दिनांक 26.07.2011 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स ज्ञान चन्द एण्ड कम्पनी गोदाम वालो का कटला सब्जी मण्डी निवाई टोंक ने मैसर्स चंचल ट्रेडिंग कम्पनी मेन मार्केट राजोली जिला दौसा राज0 के वारंटी बिल की छायाप्रति प्रेषित की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 11 / 3810 दिनांक 08.11.2011 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0 / 05 / एक्ट / 2011 / 06 दिनांक 12.10.2011 अनुसार खेम चन्द जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **लाइट फैट मॉ प्रीमियम सील पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **लाइट फैट मॉ प्रीमियम सील पैक**का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण कि और से अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि हमारा खाध पदार्थ **लाइट फैट मॉ प्रीमियम सील पैक** FSSAI –2011 के मानको के अनुरूप ही पाया गया था, किन्तु FSSAI Act –2011 नया होने के कारण हमे नियमो की जानकारी नही थी। हमारे सेपल को **मिथ्याछाप** (Mis-branded) कर दिया गया था जिसे हमने उस समय ही सुधार लिया था। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमे जुर्माने से माफ किया जावे। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **लाइट फैट मॉ प्रीमियम सील पैक** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने वहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **लाइट फैट मॉ प्रीमियम सील पैक** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 अप्रार्थी श्री श्री धारा सिंह पूर्विया

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

प्रोपरायटर मैसर्स चंचल ट्रेडिंग कम्पनी मेन मार्केट राजोली जिला दौसा राज0 निवासी सैनिक नगर गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर राज0 पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पांच हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 07.08.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner